स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत

अपर सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के

{स्थानान्तरण की धारा 17 (1) ख (पॉच)}

के आधार पर आवेदन करने वाले कार्मिकों

से प्राप्त ऐच्छिक स्थान (प्रारूप 2)

D to S – (75)

सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का नाम

प्रारूप–1

खण्ड का नामः–निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत।

क्र.सं0	कर्मचारी कोड	नाम/पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	75001 4890	विजयपाल सिंह/ अपर सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत	1– निर्माण खण्ड, रूड़की। 2– निर्माण खण्ड, लक्सर। 3– अस्थाई खण्ड, ऋषिकेश। 4– प्रान्तीय खण्ड, हरिद्वार। 5– निर्माण खण्ड, देहरादून। 6– रा0मा0 खण्ड, रूड़की (देहरादून)। 7– प्रान्तीय खण्ड, रूद्रपुर। 8– निर्माण खण्ड, काशीपुर। 9– निर्माण खण्ड, हल्द्वानी। 10– निर्माण खण्ड, रामनगर।	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत में मुझे लगभग 10 वर्ष एवं दुर्गम क्षेत्र में प्राप्तता सूची के अनुसार मेरी सेवा लगभग 13 वर्ष पूर्ण हो गयी है। तथा मेरी उम्र भी 57 वर्ष हो गयी है। मेरे घर की दूरी लगभग 330 किमी0 है, अतः मेरा स्थानान्तरण निजी हित में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण एक्ट 2017 के 13(6) एवं 17 (ख) पांच, **वरिष्ठ कार्मिक** के आधार पर मेरा स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम में ऐच्छिक स्थानों में से निजी हित में किसी एक स्थान पर स्थानान्तरण किया जाय। जिससे मैं अपने घर की देखभाल के साथ–साथ राजकीय कार्य को पूर्ण निष्ठा एवं लगन पूर्वक कर सकूं।

27/04/24

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– विजयपाल सिंह

पदनाम– अपर सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,

रानीखेत

All Durgam

286

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	प्रीति नेगी	अपर सहायक अभियन्ता	अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया	टिहरी	1- प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून 2- निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून 3- रा० मा० खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून 4- क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड, देहरादून 5- अस्थायी खण्ड, लो०नि०वि० ऋषिकेश 6- रा०म०खण्ड, लो०नि०वि० डोईवाला	☑ धारा 17(1) (क) (एक)	1- कोर्ट से सम्बन्धित पेपर	नाबालिग बच्चा जिसकी उम्र 8 वर्ष है, एकल अभिभावक होने के कारण बच्चे की देखभाल की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्मिक की है। जिस कारण कार्मिक का स्थानान्तरण कॉलम नं० ⑥ में अंकित खण्डों में करने की कृपा करें। कार्मिक का पारिवारिक वाद उच्च न्यायालय एवं निचली न्यायालय में विगत 8 वर्षों से लम्बित है।
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)	2- बच्चे का आधार कार्ड	
						☐ धारा 17(1) (ग) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (घ) (चार)		
						✓ धारा 17(1) (ङ) (पांच)		
						☐ धारा 17(1) (च) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (छ) (सात)		

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- प्रीति नेगी

पदनाम- अपर सहायक अभियन्ता
अस्थायी खण्ड, लो०नि०वि०
सहिया।

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- डॉ० प्रमोद कुमार

पदनाम-

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
सहिया, देहरादून
14/5/24

Preeti Negi ~~W/o~~ Sunil Gosain
D/o Chaldre Veer Singh Negi
R/o 2A, Tyagi Rd, Old Dalanwala colony
Kedarpuram D.Dun (UK)

(नमूना कार्बन करोना)

सम्मन वास्ते कारास्वाद उमूर तनकही तलब

(आर्डर कायदा 1 व 5)

न्यायालय Principal Judge, Family Court Dehradun

मुकद्दमा OS No. 541 /16. बनाम

Sunil vs Preeti

के आपके नाम इस नालिश बावत

हरगाह

के दावे की है कि लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 22 माह 9 सन् 20 16 के वक्त 10 बजे दिन के असालतन या बजरिये वकील के जो मुकद्दमे के हालात से करार वकाई वाकिफ किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुतालिका मुकद्दमा का जवाब दे सके, या जिस के साथ कोई और शख्स हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके, हाजिर हो और जवाबदेही दावा कि और हरगाह वह तारीख जो आपके इजहारों के लिए मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकद्दमे की तजवीज हुई है, पस आपको लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला गवाहों को हाजिर-अदालत पर नाज तमाम दस्तावेजों को जिन पर आप अपनी जवाबदेही की ताईद में इस्तेमाल करना चाहते हो। पेश करें बसूरत आप हाजिर न होंगे। तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके समाअत होकर फैसला होगा।

दस्तखत मेरे और मुहर अदालत के आज बतारीख 23/9/16 बयू सन् 20 के जारी किया गया।

Principal Judge, Family Court, Dehra Dun

नाम अदालत	नम्बर मुकदमा	नाम फरीकैन

इत्तिला

(1) अगर आपको यह अन्देशा हो आपके गवाह अपनी मर्जी से हाजिर न होंगे तो वो अदालत हजा से सम्मन की दरख्वास्त कर सकते है कि जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराये जायें और दस्तावेज को किसी गवाह से पेश कराने का आपका इस्तेहकाक रखते है वह उससे पेश कराई जावें बशर्ते अपना खर्चा बाबती अदालत में दाखिल करके इस अम्र की दरख्वास्त गुजरावें।

(2) अगर आप मुतालबा मुद्दई को तस्लीम करते है तो आपको लाजमी है कि रुपया खर्चा नालिश करें ताकि कार्रवाई इजराय डिग्री की, जो आपकी जात पर माल दोनों पर होय करना न पड़े।

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
CIVIL SIDE
NOTICE OF APPEAL
(CHAPTER XII, RULES 1 AND 7)
(Order XLI A Rule 4 of the Code Civil Procedure of 1908)
Appeal jurisdiction

First Appeal No. 7 Of 2021

Sunil Gusain .....Appellant

Versus

Mrs. Preeti Negi .....Respondent

Original Suit No. 541 of 2016 " Sunil Gusain Vs. Mrs. Preeti Negi"
Court of Principal Judge, Family Court , Dehradun day of
Dated the 8-1-21 no

Notice To Respondent-

Mrs. Preeti Negi, W/o Shri Sunil Gusain, D/o Shri Chandra Veer Singh Negi, R/o Kedarpuram (Near Old Secretarial) Colony, Dehradun. 248001

Whereas second appeal form the order dt. 8/1/2021 in the above noted case has been presented by the applicant you are hereby called upon to enter appearance on or before 23rd March 2021 to answer the appeal. The said appeal will be heard by the court on such day, thereafter as may be subsequently notified in accordance with the rules.

Take notice that in default of appearance on or before the day before mentioned in person or by advocate or by some person by law authorized to act on your behalf, the Second Appeal will be heard and determined in your absence.

You are informed that in a Second Appeal from an original decree a paper book has to be prepared at the instance of the parities except where the appeal is disposed of summarily. An application for translation and printing of documents is required to be filed and estimated charges paid within the time provided by the Rules.

Given under my hand and the seal of the Court, this 2nd Day of March 2021.

By Order

Deputy Registrar (J)
High court of Uttarakhand
Nainital

Encl – Copy of

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन क वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून

विषयः– अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण/समायोजन के सम्बन्ध में।
द्वाराः– उचित माध्यम।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी वर्तमान में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बागेश्वर में अपर सहायक अभियन्ता सिविल के पद पर कार्यरत हूँ। प्रार्थी की उम्र 56 वर्ष 06 माह है तथा प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आता है साथ ही प्रार्थी की यह भी अवगत कराना है कि बढ़ती उम्र के कारण प्रार्थी को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याऐं हैं, इसके अतिरिक्त मेरी माता जी जो 90 वर्ष की हैं बिना सहारे के चल–फिर नही सकती हैं तथा पूर्ण रूप से प्रार्थी पर ही आश्रित हैं महोदय अवगत कराना है कि प्रार्थी के परिवार में प्रार्थी की पत्नी के अतिरिक्त कोई वयस्क सदस्य नही होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है। महोदय मेरी नियुक्ति दुरस्थ होने के कारण मैं हमेशा तनावग्रस्त रहता हुँ तथा इसका असर मेरी कार्यक्षमता पर भी पडता है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रार्थी की उपरोक्त पारियारिक परिस्थितियों को मध्येनजर रखते हुए प्रार्थी का स्थानान्तरण हल्द्वानी अथवा हल्द्वानी के निकटवर्ती किसी भी खण्ड में करने की कृपा किजिए जिस हेतु प्रार्थी आजीवन आपका आभारी रहेगा।

संलग्नः–प्रारूप–2

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद सती)
अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
बागेश्वर

अग्रिम प्रतिः– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रार्थी की पारिवारिक समस्याओं पर गौर करते हुए प्रार्थी का स्थानान्तरण संलग्न प्रारूप 02 के अनुसार करने की कृपा करेंगे।

01.09.2024

(राजेन्द्र प्रसाद सती)
अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
बागेश्वर

All Dugam merit-119
(3 पत्र)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारुप–2

क्र0सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजेन्द्र प्रसाद सती	अपर सहायक अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर	अल्मोड़ा/भिक्यासैण	रा0मा0खण्ड, हल्द्वानी निर्माण खण्ड, हल्द्वानी। प्रा0स्क0 रुद्रपुर। निर्माण खण्ड रामनगर। नि0खण्ड खटीमा।	धारा के नाम के आगे लगायें ☐ 17 (1) (ख) (एक) ☐ 17 (1) (ख) (दो) ☐ 17 (1) (ख) (तीन) ☐ 17 (1) (ख) (चार) ☑ 17 (1) (ख) (पाँच) ☐ 17 (1) (ख) (छः) ☐ 17 (1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्रार्थी वरिष्ठ कार्मिक की श्रेणी का है। माता एवं बच्चों की देखभाल हेतु

नोट–
कॉलम संख्या–7 में दर्शाये गये आधार के संबंध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाणपत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

07.05.2024

नाम– राजेन्द्र प्रसाद सती
पदनाम– अपर सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– (इं0 अमित कुमार पटेल)
पदनाम– अधिशासी अभियन्ता

D-S = 49

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

[illegible]	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	अशोक कुमार	अपर सहायक अभियन्ता	प्र० खं० लो०नि०वि० [illegible]	देहरादून देहरादून	① प्रा०ख० देहरादून ② नि०ख० देहरादून ③ [illegible] ④ [illegible] ⑤ [illegible] देहरादून ⑥ प्रा०ख० टिहरी ⑦ नि०ख० नरेन्द्रनगर ⑧ नि०ख० [illegible] ⑨ नि०ख० [illegible] ⑩ क्वालिटी कन्ट्रोल देहरादून	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		कार्मिक की आयु 50 वर्ष है। D.O.B 01-01-1969 [illegible]
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☑ धारा 17(1) (ख) (पांच)	वरिष्ठ नागरिक [illegible]	
						☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोट- कॉलम संख्या-07 में दर्शायें गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- अशोक कुमार

पदनाम- अपर सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम-

पदनाम-

All Durgam Merit = (119)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारुप–2

क्र०सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अर्न्तगत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजेन्द्र प्रसाद सती	अपर सहायक अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर	अल्मोड़ा / भिकियासैण	रा०मा०खण्ड, हल्द्वानी निर्माण खण्ड, हल्द्वानी। प्रा०ख० रूद्रपुर। निर्माण खण्ड रामनगर। नि०खण्ड खटीमा।	धारा के नाम के आगे लगायें ☐ 17 (1) (ख) (एक) ☐ 17 (1) (ख) (दो) ☐ 17 (1) (ख) (तीन) ☐ 17 (1) (ख) (चार) ☑ 17 (1) (ख) (पाँच) ☐ 17 (1) (ख) (छः) ☐ 17 (1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्रार्थी वरिष्ठ कार्मिक की श्रेणी का है। माता एवं बच्चों की देखभाल हेतु

नोटः–

कॉलम संख्या–7 में दर्शाये गये आधार के संबंध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाणपत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलंग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अर्न्तगत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) 14.05.2024

नाम– राजेन्द्र प्रसाद सती

पदनाम– अपर सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) 15.05.24

नाम– (इं0 अमित कुमार पटेल)

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता

S-D=(38)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप – 2

नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
2	3	4	5	6	7	8	
					धारा के नाम के आगे लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
श्रीमती निधि पुण्डीर	कनिष्ठ अभियन्ता	रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, डोईवाला	देहरादून	1. निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून। 2. प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।	17 (ख) (पांच) के अन्तर्गत (साक्ष्य संलग्न)		नाबालिग बच्चे होने तथा एकल अभिभावक होने के कारण एवं देख-रेख की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं होने के कारण एवं कोई अन्य मेरे बच्चों की देख-रेख हेतु नहीं है। जिस कारण मेरा स्थानान्तरण कॉलम नं० 6 में अंकित खण्डों में करने की कृपा करें।

-कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम – निधि पुण्डीर
पदनाम – कनिष्ठ अभियन्ता

हस्ताक्षर (अग्रसारणकर्ता)
नाम – इ० नवनीत पाण्डेय
पदनाम – अधिशासी अभियन्ता

स्वास्थ्य विभाग
नगर निगम
देहरादून

उत्तराखण्ड सरकार

मृत्यु प्रमाण पत्र

प्रपत्र सं0 8
(नियम–8 देखिये)

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2003 की धारा 13
की भाग 1–2 के अन्तर्गत जारी किया गया है

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गई है। जो उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून जिले की देहरादून तहसील के नगर निगम, देहरादून के रजिस्टर में है।

नाम	अनिल कुमार पुण्डीर	राष्ट्रीयता	भारतीय
लिंग	पुरुष	रजिस्ट्रीकरण संख्या	D20171000516
मृत्यु का स्थान	50, अल्कनन्दा एन्कलेव, देहरादून	रजिस्ट्रीकरण दिनांक	23-10-2017
		स्थायी पता	50, अल्कनन्दा एन्कलेव, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून
मृत्यु की दिनाँक	13-10-2017		
पिता / पति का नाम	लखपत सिंह पुण्डीर		

दिनाँक Monday, October 23, 2017

Registrar (Births & Deaths)
Nagar Nigam, Dehra Dun
(UTTRAKHAND) INDIA

COMMON SEAL
सार्वजनिक मुद्रा
नगर निगम, देहरादून
NAGAR NIGAM, DEHRADUN

Sugam-6

(1)

सेवा में,

प्रमुख अभियंता
विभागाध्यक्ष कार्यालय
यमुना कॉलोनी ,देहरादून

विषयः- धारा 17 (1)(ख) (पांच) के अंतर्गत स्थानातरण के सम्बन्ध में|

महोदय,

निवेदन यह है कि मैं मोनिका आर्या अपर सहायक अभियंता (सिविल) पद पर निर्माण खंड लो०नि०वि०रूडकी में कार्यरत हूँ | स्थानातरण अधिनियम 2017 के अंतर्गत पत्रांक 546/34 व्यक-स्थानातरण-सा०/2023 दिनांक 16/04/2024 वर्ष 2024 में मुझे महोदय को यह अवगत कराना है कि मेरा व मेरे पति का पारिवारिक विवाद का मुकदमा चल रहा है | जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0256/2021 में धारा 323,354,498ए,506 थाना रानीपुर जिला हरिद्वार में दर्ज है | जिसका मुकदमा जिला न्यायालय में विचाराधीन है | मेरे दो बच्चे है |जिनकी आयु लगभग पुत्री 15 वर्ष व पुत्र 9 वर्ष है | मेरा पुत्र जन्म से ही अनेक बीमारियों से ग्रसित है व जिस कारण उसकी तीन से चर बार सर्जरी अपोलो हास्पिटल दिल्ली में डॉ. सुजीत चौधरी द्वारा हो चुकी है | जिसका निरंतर चिकित्सक उपचार चल रहा है | मेरे अलावा मेरे बच्चो की देखभाल के लिए कोई नहीं है | तथा मेरे बच्चो की भरण पोषण की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है |क्योकि दोनों बच्चे मेरे साथ रहते है | इसके साथ –साथ मेरे द्वारा राजकीय कार्यों का संपादन पूर्ण जिम्मेदारी व ईमानदारी के साथ किया जा रहा है एवं किया जायेगा | भविष्य में मातृत्व जिम्मेदारी के साथ साथ राजकीय कार्यो को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ किया जायेगा ,जिसे में वास्तविक जिम्मेदारीमानती हूँ |

अत: माननीय महोदय से करबध्द निवेदन है कि मेरी व मेरे बच्चो की विकट समस्या को देखते हुए धारा 17 (1)(ख) (पांच) के अनुसार मेरे स्थानातरण पर विचार करते हुए मेरा स्थानातरण न करने की कृपा करे | आपकी अति कृपा होगी | सधन्यवाद |

सलग्न :-

1. एफ०आई०आर० की प्रति व जिला न्यायालय सूचना प्रति
2. बेटे की चिकित्सक उपचार की प्रतिया |

प्रार्थिनी
मोनिका आर्या
अपर सहायक अभियंता सिविल
निर्माण खंड लो०नि०वि०रूडकी

दिनांक :- 23/4/24

अधिशासी अभियन्ता 24/4/24
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
रुड़की

CamScanner

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http://govt.uk.nic.in/pwd E-Mail-eicpwd[illegible]nic.in

[illegible] /34व्यक-स्थानान्तरण-सा0/2023 दिनांक- 15/04/2024

कार्यालय ज्ञाप

राज्य में [illegible] के अन्तर्गत कार्मिकों के स्थानान्तरण को निष्पक्ष, पारदर्शी तथा [illegible] हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (संख्या-1, वर्ष-2018) एवं शासनादेश [illegible] दिनांक 14.03.2024 के अनुपालन में जारी दिशा निर्देशों एवं समय सारिणी के अनुपालन में लोक निर्माण [illegible] वर्ष-2024 हेतु स्थानान्तरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्धित [illegible] Portal पर ऑनलाईन भरे गये डाटा यथा-सेवा विवरण के आधार पर इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-[illegible]/34व्यक-स्थानान्तरण-सा0/2023 दिनांक-15.04.2024 के द्वारा समूह-'क', 'ख' एवं 'ग' के प्रत्येक संवर्ग के कार्मिकों के [illegible] में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत धारा-6 के अनुसार वार्षिक [illegible] के निम्नलिखित प्रकार होंगे-

01 सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण।
02 दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण।
03 अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण।

अधिनियम की धारा-09 एवं धारा-12 के अनुसार पात्र वार्षिक अधिकतम 10 ऐच्छिक स्थानों के विकल्प [illegible] तथा धारा-13 एवं 14 के अनुसार अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अधिकतम 10 ऐच्छिक [illegible] विकल्प के साथ आवेदन पत्र मय साक्ष्यों सहित संलग्न कर प्रारूप-2 पर दिनांक 15.05.2024 तक इस कार्यालय [illegible] करायेंगे।

अतः प्रारूप-01 व प्रारूप-02 संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किये जा रहे है कि [illegible] सूचना हार्डकॉपी एवं सॉफ्टकॉपी Kruti Dev 10, Excel sheet में भरकर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से [illegible] Email ID-nimisingh.pwd@uk.gov.in पर दिनांक 15.05.2024 तक उपलब्ध करायेंगे। दिनांक [illegible] के बाद प्राप्त किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विकल्प/अनुरोध पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। साथ ही [illegible] से प्राप्त विकल्प/अनुरोध पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(प्रेम सिंह नाथिया[illegible])
वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर (अधि[illegible])

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अधिनियम की प्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01 अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02 प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि०, महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
03 मुख्य अभियन्ता (मु०[illegible]), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के संज्ञानार्थ प्रेषित।
04 [illegible] मुख्य अभियन्ता, [illegible] लोक निर्माण विभाग।
05 [illegible] अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
06 [illegible] अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
07 अधिशासी अभियन्ता (आई०टी०), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ [illegible] संलग्न प्रारूप को लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर व्यापक प्रचार-प्रसार करना सु[illegible] (संलग्न-प्रारूप-01 एवं प्रारूप-02)
08 [illegible] अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
09 [illegible]/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थापन क/ख/ग/घ एवं कार्यप्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, [illegible] देहरादून। (संलग्न-प्रारूप-01 एवं प्रारूप-02)
10 गार्ड फाइल हेतु।

वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर

CS CamScanner

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पूर्व तैनाती / [illegible] का नाम	स्थानान्तरण हेतु [illegible] विकल्प [illegible] वरीयता क्रम में	धारा [illegible] जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मोनिका आर्या	अपर सहायक अभियंता	निर्माण खंड [illegible]	[illegible]	① नि०खं० चम्बा ② प्रा०खं टिहरी ③ अ०खं० थत्यूड़ ④ N.H. बड़कोट ⑤ अ०खं० कीर्तिनगर ⑥ नि० खण्ड पुरोला	धारा के नाम के आगे ✓ लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
						☐ धारा 17(1) (क) (एक)		
						☐ धारा 17(1) (क) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (क) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (क) (चार)		
						✓ धारा 17(1) (क) (पांच)	रिपोर्ट सं०-25(/21) धारा- 323, 354, 498क, 506	
						☐ धारा 17(1) (क) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (क) (सात)		

नोट- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, [illegible] [illegible] [illegible] अन्तर्गत [illegible] किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) [signature]

नाम- मोनिका आर्या

पदनाम- अपर सहायक अभियंता (सिविल)

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) [signature]

अधिशासी अभियन्ता 21/5/21

निर्माण खण्ड लो. नि. वि.